Discussion on the working of the Ministry of Welfare—Contd.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Sir, while speaking on the working of the Welfare Ministry, I will first refer to the Starred Question No. 261, which was discussed in the House on 13th March, 1997. In answer to the question in part two, the Minister had said: "The Central Planning Committee under the Chairmanship of the Secretary, Ministry of Welfare, has been in existence since 1993, to monitor the preventive measures against deaths of children in remote and backward tribal areas. The Committee, in consultation with the State Governments, has identified 363 blocks in 62 districts in 13 states, which are vulnrerable in this respect and where measures are required to prevent such occurrences. These measures include early warning system and intensification of the programmes in the basic areas such as drinking water, health services, nutrition, PDS and the employment generation. The Orissa Government has prepared an Action Plan for the areas so identified in the State."

Sir, I would like to submit here one other thing. Since this had been constituted in 1993, I would like to know from the Government whether they have been giving any warning to different States where the starvation death pockets have been identified by the Welfare Department.

So far as starvation death pockets are concerned, as you know, in this House on several occasions, I have stated about the backwardness of the State of Orissa and about the backwardness of Kalahandi, Bolangir and Koraput. In all these areas, the Ministry has not monitored the programme, such as drinking water, health services, nutrition, PDS and employment generation. As a result there are starvation deaths as well as large-scale migrations. So, I would like to know from the Government whether from the year 1993 they have issued such types of circulars from time to time for the purpose, because out of this large country only 363 blcok in 62 districts are to be covered.

Now, I come to another point. During the course of our discussions with the Officers of the Ministries of Welfare and Labour in several States we found that the Special Component Plans are not being implemented properly. Not only that, in several States we found from the Secretaries and Officers of the State Departments that they are not aware of the existence of the Special Component Plan. Moreover, the grants meant for Special Component Plans are not being utilised properly. In this connection I would like to refer to the Annual Report of 1995-96, in which at page 9, it has been clearly stated, "the concept of Special Component Plan is in vogue in 21 States, three union Territories and 13 Ministries. However, it is seen that the Special Component Plan is being formulated more strictly as per the guidelines. National allocation of funds under the S.C.P. is made in schemes like power generation, mega irrigation projects, roads and bridges, major industrial projects, major educational and health projects, where the quantum of benefits going to the Scheduled Castes is difficult to ascertain as the benefits of such schemes flow to all sections. This is not in conformity with the guidelines issued for the formulation of S.C.Ps."

It was detected that funds were not being utilised properly for the purpose which they were intended. As per the report of 1995-96, what has the Government done to correct this lapse and find out whether the States—whose names I have mentioned earlier—have properly utilised funds under the Special Componenent Plan? They have not done anything. In the Annual Report of 1995-96, the intention of the Special Component Plan has been clearly stated. It has been mentioned on page 15 that the intention of the Special Component Plan relates to the scheme in the core sectors like agriculture, animal husbandry, diary development, fisheries, small and cottage industries, leather, weaving, textiles, handloom, etc., for the economic de-

velopment of the Scheduled Castes. So, my next question is: In the last three years how many assets have been created in respect of the Special Component Plan for the people eligible under the schemes.

I would like to say that the amount allocated under the Special Component Plan is being diverted. I would like to know what care has been taken by the Government to see that the amount allotted under Special Component Plan is not diverted. As you know, the amount under the Special Component Plan is being released, from time to time. Which are the States who have already opened separate project heads for the SCP fund to prevent diversion of funds? When we were on official tour, we have submitted a report stating that States were not properly monitoring and they should be asked to deposit amount granted under the Special Component Plan under a separate head. But I am sorry to say that so far it has not been done.

They have stated in the report that they were in the process of doing it. So, I want to know from the Government, in how many States the funds that have been granted by the Central Government have been deposited under separated head. What is the objective? What are the assets that have been created.?

The third thing I want to say is that if you go through the Economic Survey there is no mention of the States getting assistance under the Special Component Plan as well as the Tribal Plan. In the Special Component Plan, they have not mentioned anything. In the Tribal Plan, they have not mentioned anything. So, I would like to know from the Government whether any monitoring has been done to find out whether the amount is reaching the beneficiaries and whether any assets have been created.

The other thing I would like to say is that the Ministry of Welfare has identified starvation death pockets in the country. So far as starvation death pockets are concerned, no State Government has submitted any report to the Ministry. The Ministry has adopted the starvation death prone areas, but in these areas, what are the programmes that have been taken up. We want to know which programme has been taken up under the Special Component Plan.

Lastly, in the Common Minimum Programme it has been clearly stated that the United Front Government would be very serious about the social justice as a result of which artisans, craftsmen, trade persons, weavers, fishermen are among the most neglected sections of the society. Special progrmmes would be devised to enhance their skills and to provide them modern tools, provide more credit facilities and make their products and services more marketable so that they can earn living wages. I want to know from the Government what those schemes announced for the economic development of the backward community are and from which date. As I submitted earlier, this is an area where social economic things are to be taken into consideration. I hope that the Ministry would give a serious consideration to this matter and I also hope that the Ministry would reply to all my points which have been raised here. Thank you for giving me this opportunity.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): कोविन्द जी, इससे पहले आप बोलना शुरू करे, मैं श्री सनानत बिसि जी से कहूंगा कि वे यहां पर आकर चेयर सम्भालें।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए।

श्री रामनाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महोदय, कल यहां पर जब कल्याण मंत्रालयज की परफारमेंस के बारे में चर्चा हो रही थी तो माननीय कल्याण मंत्री जी यहां बैठे थे और उन्होंने यह कहा था कि हमारा यहां पर कोई कलीग रहेगा जो कि नोट्स लेगा। मुझे खुशी है कि श्री ओला साहब नोट ले रहे हैं इससे मंत्री जी को उत्तर देने में सहूलियत रहेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कल से हम कल्याण मंत्रालय को परफारमेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक जिन वक्ताओं ने अपनी बातें कही है उनमें से एक बहुत बड़ी गम्भीर बात उभर कर के यहां आई है कि जो फण्ड्स इस मंत्रालय को अलोकेट होते हैं और इस

मंत्रालय के तहत जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनमें पूरे फण्ड्स का सदुपयोग नहीं हो पाता है। यह तथ्य न केवल यहां की चर्चा की आधार पर निकला है बल्कि पिछले कई वर्षों से यह बात बराबर सरकार को कही जा रही है। मैं इस संबंध में एक और बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फरवरी 1996 में दो दिन की सभी प्रदेश के कल्याण मंत्रियों की एक कांफ्रेंस हुई थी और उस बैठक में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी ने जो आब्जर्व किया था वह मैं कोट करना चाहता हूं:—

> He had criticised some State Governments for misusing funds meant for implementation of schemes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Some of the States were diverting these funds to other purposes.

यहां तक की इस फण्ड के मिस एप्रोप्रिएशन की बात भी कही गई थी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि फण्ड का चाहे डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे मिस यूटिलाइजेशन हो, चाहे मिस एप्रोप्रिएशन हो, ये सभी बातें इन वर्गों के लिए अच्छी नहीं हैं और ना ही इससे यह पता चलता है कि सरकार इन योजनाओं और इन समाज के कमजोर वर्गों के प्रति गम्भीर है। मैं चाहूंगा कि जिन स्टेट्स के बारे में यह कहा गया है कि उन स्टेट्स ने उस फण्ड को डाइवर्ट किया है तो मंत्री जी यह बतायें कि वे कौन-कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस फण्ड को डाइवर्ट किया है, मिस यूटिलाइजेशन किया है और मिस एप्रोप्रिएशन किया है।

महोदय, 1987-88 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं उनकी जनसंख्या का निर्धारण हुआ था लेकिन आज तक वह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जिन लोगों के लिए हम योजनाएं बनाते है, उनकी जनसंख्या के सही आंकडों के अभाव में हम योजनाओं का निर्माण कैसे कर लेते हैं, उनका कैसे प्लान तैयार करते हैं? यह एक कामनसेंस की बात है कि जब तक हमारे पास उनके सही आंकड़े नहीं होंगे जिनके लिए हम काम करने जा रहे हैं, जिनके लिए योजनाएं बनाने जा रहे हैं तो हम कैसे योजनाएं बनायेंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से लेता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने लोग बिलों पावर्टी लाइन में रहते हैं उनके सही आंकड़े उपलब्ध कराये जाये।

महोदय, अब मैं सफाई कर्मचारियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सफाई कर्मचारियों की भलाई के लिए एक आयोग बना है और उसने उनकी भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन उसके बारे में भी सरकार के पास प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 राज्यों में सर्वेक्षण हुआ था और 6.7 लाख लोगों का पता लगाया गया था। लेकिन सही आंकड़े यहां भी नहीं हैं। ये आंकड़े भी 1987-88 के हैं और लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। महोदय, मेरा यह कहना है कि इस मंत्रालय से संबंधित हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें 1995-96 के आधार पर यह कहा गया था कि सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना 1991-92 में प्रारम्भ की गई थी।

पांच वर्षों में उन्हें वैकल्पिक प्रतिष्ठित व्यवसाय में लगाने का आश्वासन दिया गया था। पांच वर्ष बीत गये हैं लेकिन अभी तक उनको अल्टर्नेटिव जॉब जिसके लिए योजना बनाई गई है, उसका कहीं कुछ भी पता नहीं है।

महोदय, सफाई कर्मचारियों के लिए एक आयोग बना है और उस आयोग में भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मैम्बर्स हैं। इसके बारे में मेरा यह कहना है उसमें जो सदस्यों और अधिकारियों की नियुक्ति हुई है वह मेरिट्स के आधार नहीं हुई है। उसमें बहुत कुछ एक्सट्रेनवस कंसीडरेशन के आधार पर हुआ है जिसमें भेदभाव भी शामिल है। अभी भी वहां एक दो सदस्यों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ओर तो डिस्क्रिमिनेशन अथवा भेदभाव न केवल समाज के सभी वर्गों में व्याप्त है बल्कि यहां पर भी है। एक सफाई कर्मचारियों को आयोग है और दूसरा एक नेशनल कमीशन फोर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स। मैं इसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि दोनों के चेयरमेन्स और वाइस चेयरमेन्स के स्टेट्स में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। मेरी जानकारी में यह लागा गया है कि एससी-एसटी नेशनल कमीशन का जो चेयरमैन है उनका स्टेट्स कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दिया गया है जबकि सफाई कर्मचारी जो कि समाज के सबसे शोषित और दि वीकेस्ट सैक्शन आफ दि सोसाइटी है, उनके कमीशन के चेयरमैन को जो दर्जा दिया गया है वह केवल राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया है। इस आयोग बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी भी अभी की गई है। वे कर्मचारी बेचारे कोर्ट में गये और वहां से उनको बहाली मिली।

इन सफाई कर्मचारियों की जो भविष्य निधि है उसका कोई अता-पता नहीं है।

मैं इन सफाई कर्मचारियों के बारे में मूल रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां जो इनको स्टैन्डर्ड लोन दिया जाता है, इसकी सीमा 50 हजार तक कर रखी है। बैंक के माध्यम से उनको 50 हजार लोन दिया जाता है। इसमें से रिकवेरेबल लोन 25 हजार है। इसका मतलब यह हुआ कि 50 परसेंट एमाउन्ट रिकवेरेबल है और 50 परसेंट की सब्सिडी दी जाती है।

महोदय, मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो इन सफाई कर्मचारियों को सब्सिडी दी जाती है उसमें बैंक के लोग तब तक लोन रिलीज नहीं करते, निर्गत नहीं करते है जब तक कि 25 हजार में से उनके शेयर का बंटवारा नहीं हो जाता। यह बहुत गम्भीर बात है विशेषकर सफाई कर्मचारियों के लिए। उनका जो पैसा है उस पैसों से कमीशन देने की यदि बात की जाती है तो कैसे वे कर्मचारी उस पैसे का सही उपयोग कर पायेंगे? यह बड़ी गम्भीर बात है। जहां तक नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी बना हुआ है, हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री हनुमनतप्पा उसके अध्यक्ष हैं। मैं उनके कमीशन के कार्यों की सराहना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वे इस समस्या से जुड़े हुए हैं, वे अध्यक्ष महोदय है बल्कि कमीशन के कार्यों को मैंने खुद कई बार देखा है। लेकिन उनको भी अपंग बनाया गया है। जैसे कि कल यहां सदन में कुछ जानकारी दी गई। करीब पौने दो सौ कर्मचारियों को विदड्रा कर लिया गया है, उनकी छटनी कर दी गई है। और बहुत सारी सुविधाएं जो उनको दी जानी चाहियें वे कमीशन को प्राप्त नहीं हुई हैं।

महोदय, मेरा यह कहना है कि जब हम योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बात करते हैं तो मुझे जानकारी मिली है कि मंत्रालय में भी पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। इस मंत्रालय पर योजनाओं का दबाव बढ़ता जा रहा है या तो होना यह चाहिये था कि मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये लेकिन दिनो-दिन संख्या कम होती जा रही है और पिछले कई वर्षों से जब तक नई योजनाओं का कार्यभार बढ़ा है लेकिन स्टाफर्क क्षमता में कोई वृद्धि नहीं है।

मैं यहां पर एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूं कि इसी मंत्रालय के तहत रिजर्वेशन टु दि शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड के लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है इसकी मैं एनुअल रिपोर्ट 1996-97 के आधार पर कुछ तथ्य ऐसे देना चाहता हूं जिसके आधार पर यह कहा गया है कि इस मंत्रालय में ग्रुप (ए) में कर्मचारियों की कुल संख्या 46 है जिनमें शैड्यूल्ड कास्ट की 4 है और एस॰ टी॰ की 2 है। ग्रुप (बी) में 152 कर्मचारी हैं जिनमें शैड्यूल्ड कास्ट के 21 है और एस॰ टी॰ के 2 है। ग्रुप (सी) में कुल कर्मचारियों की संख्या है 139 जिनमें, एस॰ सी॰ 26 हैं और एस॰ टी॰ के 5 हैं। ग्रुप (डी) में टोटल संख्या है 84 जिनमें एस॰ सी॰ 26 और एस॰ टी॰ का एक कर्मचारी है। इसमें पूरा जो रिज़र्वेशन का परसेंटेज है, वह उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह बड़ी गम्भीर बात है। हम लोगों में एक कहावत है दीपक तले अंधेरा। यही मंत्रालय दूसरे विभागों में मोनिटेरिंग करता है ताकि बाकी मंत्रालयों में रिज़र्वेशन की पूरी पॉलिसी लागू की जाए बल्कि 100 परसेंट लागू होनी चाहिये लेकिन खुद अपने मंत्रालय में इसके लागू करने में असफल हो रहे हैं। कल कुछ बातें उठाई गई थी एन॰ जी॰ ओज़॰ के बारे में। एक घटना मेरी जानकारी में भी आई है। वह बहुत विचित्र घटना है। लखनऊ की एक एन॰ जी॰ ओ॰ थी। वहां पर एक राज्य मंत्री का निधन हो गया इसलिए एक दिन वर्किंग डे में छुट्टी घोषित कर दी गई। यहां से स्टाफ गया हुआ था, स्वाभाविक है जब छुट्टी घोषित कर दी गई तो वहां पर कोई आने वाला नहीं था। यहां से जो ग्रांट उनको दी जाती है, उसके पहले इंस्पेक्शन की जाती है। यहां से अधिकारी इंस्पेक्शन करने के लिए गये तो उनको वहां कार्यालय में कोई नहीं मिला। उन्होंने रिपोर्ट लिख दी कि वहां पर इस तरह की कोई एन॰ जी॰ ओ॰ नहीं है और न कोई काम होता है। जब इसका पता चला तो मैंने तत्कालीन जो वेलफेयर विभाग के सेक्रेटरी थे, श्री माता प्रसाद जी, उनकी जानकारी में यह बात लाई कि वहां पर छुट्टी हो गई थी। होना तो यह चाहिये था कि जिस दिन छुट्टी हो उस दिन इंस्पेक्शन नहीं करनी चाहिये था। मुझे यह भी जानकारी मिली कि उसी केन्द्र पर लखनऊ केन्द्र पर एक दूसरे एन॰ जी॰ ओ॰ ने भी छुट्टी की थी लेकिन क्या कारण था कि एक एन॰जी॰ओ॰ को असिस्टेंस दी गई और एक एन॰ जी॰ओ॰ की असिस्टेंट विदड्रा कर ली गई। इसके पीछे भ्रष्टाचार की कुछ बू आती है। मैं इसके संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता था।

मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम सब लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जब सब से पहले लिस्ट बनी थी, उसके बाद उसमें न के बराबर परिवर्तन हुआ है। इस बीच में हमें जानकारी मिली है कि इस मंत्रालय के पास विभिन्न राज्यों ने अपने अपने यहां पर कौन सी जाति को अनुसूचित जाति में होना चाहिये, किस को अनुसूचित जनजाति में होना चाहिये, इस सूची

में जोड़ना चाहिये, नई-नई जातियों के बारे में रिक्मेंडेशन कर के इस मंत्रालय को भेजी है। इस मंत्रालय के पास करीब 1200 ऐसे प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन 1200 प्रस्तावों में जो जातियां दी गई हैं उनके लिए यह सरकार, इसके पहले की सरकार और कांग्रेस की सरकार पिछले 10 वर्षों से बराबर यह कहती आ रही है कि हम सदन में एक कंप्रेहेंसिव बिल लाने वाले हैं। कई बार इस सदन में प्रश्न पूछे गये, उनके उत्तर में भी आश्वासन दिया लेकिन बिल आज तक नहीं लाया गया है। इसकी वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो नई श्रेणी है, जिनकी रिक्मेंडशन आई है, उन लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त है। मेरी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी एक कंप्रेहेंसिव बिल लाना चाहिये। महोदय, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक कोली कम्युनिटी होती है जो शैड्यूल्ड ट्राइब है। वहां बड़ी विचित्र स्थिति है कि उस ट्राइब में बहुत सारी उपजातियां भी हैं जैसे महादेव कोली, ढोर कोली और ठाकरे कोली है। राज्य सरकार ने क्या किया है कि जो उपजातियां हैं उनको तो एस॰ टी॰ की लिस्ट में इन्क्लूड कर दिया है लेकिन जो मेन कम्युनिटी है, कोली कम्युनिटी, जो सब के साथ में लिखी गई है, उसको उन्होंने एस॰ टी॰ की लिस्ट में इन्क्लुड नहीं किया और इसके आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिली थी, जिन लोगों को सुविधा मिली थी उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उन से सुविधाएं वापस ली जा रही हैं। महोदय, मैं अंत में...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नहीं, अंत में नहीं। आपका टाइम हो गया है।

श्री रामनाथ कोविन्द: टाइम काफी हो गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा पहली बात को दोहराते हुए कि जो फंड्स हैं उनका सही उपयोग हो और इसकी सतत मानीटरिंग होनी चाहिए तभी हम इस संबंध में कुछ आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): धन्यवाद महोदय, कल्याण मंत्रालय के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा एक कल्याणकारी राष्ट्र है। अगर आप आंकड़ों से देखेंगे तो इस मंत्रालय के पास जिन लोगों के कल्याण करने की जिम्मेदारी है उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक हैं। इनको अगर आप जोड़ लेंगे 1991 के आंकड़ों के अनुसार, सेन्सस के अनुसार तो हमारे देश में अनुसूचित जाति 16.48, जनजाति 8.08, बैकवार्ड क्लासेज, पिछड़े वर्ग 52 प्रतिशत और माइनारिटीज, अल्पसंख्यक 17.17 है। तो देश का तो कल्याण हो ही गया। 91-92 प्रतिशत इन आंकड़ों में आ जाते हैं। इसके अलावा भी है। वे बच्चे जिनको जरूरत है मदद की, सुरक्षा की। उनके कल्याण करने की जिम्मेदारी भी इस मंत्रालय की है। जो अपंग हैं उनके लिए भी है। जो मानसिक रूप से रिटारडेट हैं उनका भी कल्याण इनकी जिम्मेदारी में आता है ...(व्यवधान)... आप मेंटली रिटारडेड के बारे में इन्क्विजशन करना चाहते हैं ..(व्यवधान)..

फिर जो ड्रग एब्यूज के शिकार हैं। तो सब मिलाकर अगर यह मंत्रालय ठीक ठाक चलता है तो आजादी के 50 साल में देश का कुछ काम तो ठीक-ठाक हो जाता। जिम्मेदारी बहुत है। लिमिटेशन भी बहुत है। इस मंत्रालय की अपनी लिमिटेशंस है। साधनों की कमी है। देश की बहुत सी जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों के जरिए भी इनको बहुत सी स्कीमें करनी पड़ती है। इसलिए इनका लिमिटेशन भी है। इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए बहुत स्कीम्स हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि इसका दूसरी मिनिस्ट्रीज से सही ढंग से कोलेबोरेशन होना चाहिए और इसकी अपनी जो स्कीम्स हैं उनकी मानीटरिंग ठीक से होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से लाएजनिंग होनी चाहिए। अभी हम नयी सरकार बनने के बाद कोआपरेटिव फेडरेशन की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अफसर स्कीम्स बनाकर भेज देते हैं। स्टेट्स को अगर सूट किया तो कुछ काम हो जाता है नहीं तो कुछ एन॰जी॰ओ॰ या कुछ बाकी लोग स्कीम्स लेकर आ जाते हैं जो कुछ टेबुल तक पहुंच जाती हैं या पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह स्कीम्स मिलती हैं और यह सब चक्कर चलता रहता है। यह एक रोज का नहीं है। इसलिए मैं शिड्यूल्ड ट्राइब से शुरू करूंगा जो इस देश की सबसे पिछली कतार में बैठे हैं। कल हमारे अजीत जोगी जी ने काफी हमदर्दी के साथ और दर्द के साथ कहानी सुनायी। इस मुल्क में Tribals were the first to shed their blood. आजादी के लिए सबसे पहले अपना खून बहाया और आजादी के 50 साल तक सिर्फ दो शिफ्ट खुराक मिलने के लिए सबसे आखिरी कतार में खड़े हैं। स्टारवेशन डेथ अगर हो चाहे वह महाराष्ट्र के थाने जिले में हो चाहे उड़ीसा के कालाहांडी जिले में हो या मध्य प्रदेश में हो यहां तक कि केरल के बारे में हम गर्वित हैं उस केरल में दो-तीन साल पहले डेथ हुई तो उनकी हुई। हर जगह पर हुई, हर स्टेट में हुई।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, there is no Minister here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): He is sitting there.

श्री मोहम्मद सलीमः यह एप्रोच हमारी रही है। चैरिटेबुल। यह उनका अधिकार है। जिनके कल्याण के बारे में हम सोच रहे हैं उनको कोई भीख नहीं दे रहे हैं। उनका यह अधिकार है। वह एप्रोच नहीं रही है। हम कुछ दान धर्म कर रहे है, यह जो भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं उसी लिहाज से बेगर्स का कुछ कल्याण हो जाना चाहिए, इस लिहाज से काम करने से हम कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। मैं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा था। आज स्थिति क्या है? 50 साल में आंकलन तो होना चाहिए, एचीवमेंट्स, इंसीडेंस ऑफ पावर्टी, नंबर ऑफ ट्राइबल्ज़ लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन, कोई आंकड़ा है? नेशनल सैंपल सर्वे जो आर्गेनाइज़ेशन है इसको इस बात की जरूरत थी कि हम इसका आंकलन करें, इवैलूएशन करें कितने ट्राइवल आज बिलो द पावर्टी लाइन है और उसके साथ कंपेयर करें। मेरे लिहाज से हमें इस बारे में भी थोड़ा इवैल्यूशन करना चाहिए कि आजादी के समय इन समाज जिनके हम कल्याण की बात कर रहे हैं शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़, माइनारिटीज़ इनकी स्थिति, सोशियो इकोनोमिक एजुकेशनल स्टेटस इन कंपेरेज़न टू अदर्स क्या था और आज क्या है। तब हम समझ पायेंगे कि आजादी के 50 साल में हम कुछ आगे बढ़े हैं या नहीं। एक, दो, चार, दस फैमिलीज़, एक, दो, चार इलाके कुछ तो डिवैलपमेंट्स हुए, लेकिन सही मायनों में आजादी का जो फ्रूट है, जो फल है वह इन तक नहीं पहुंच पाया। यह अकेले कल्याण मंत्रालय का काम नहीं है, यह तो पूरे भारत सरकार, राज्य सरकार, जो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट हैं, सब की यह जिम्मेदारी है। तो कौन, जिम्मेदारी किसकी है, मैं समझता हूं कि कल्याण मंत्रालय इस तरह की एक नोडल मिनिस्ट्री की हैसियत से इस बारे में थोड़ा कोलैबोरेट करता, कोआर्डिनेट करना यह इनकी जिम्मेदारी थी। सिर्फ स्कीम्ज़ पास करना नहीं है। इसमें हम आजादी के 50 साल में यह तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कामयाब हम नहीं हो पाए, ट्राइबल्ज़ की जो सिचुएशन थी वह उसी जगह पर है। आप स्पेसेफिकली हमारे बहुत से सदस्य बोले है ट्राइबल्ज़ सब प्लान के बारे में कहे है किस तरह से उसका फायदा उन तक नहीं पहुंचता यह भी कहे हैं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में कहे हैं मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन एक सवाल मैं यह कहूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी की भी यह रेकमेंडेशंस थीं कि आप वह जो बिलो द पावर्टी लाइन जो एस॰सी॰, एस॰टीज़ के कितने नंबर्स हैं यह एन॰एस॰एस॰ के बारे में आंकड़ा हमें ले आया जाए पब्लिश किया जाए। लैट द पीपुल नो कि हमारी जो अर्थ नीति है, हमारी राष्ट्र चलाने की जो नीति है वह कहां तक कामयाब हुई और हम किस स्थिति में हमारे जिसको सब से ज्यादा जरूरत है कल्याण मंत्रालय को बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास ये जो बड़े-बड़े शहरों में ऊपर बसे हुए समाज के जो लोग हैं जिनका इस व्यवस्था में रोजाना कल्याण हो रहा है, उनके लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी आप अगर देखेंगे यह जो रूपये आप स्कीम्ज़ में खर्च करते हैं वे भी सब रुपये ट्राइबल्ज़ में और रिमोट एरियाज़ तक नहीं पहुंचते। उस रुपये का भी कुछ अच्छा खासा हिस्सा इस क्षेत्र में ही खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। यह सब लोग जानते हैं। वह हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री भी कहे हैं कि वहां तक नहीं पहुंचता। इसी तरह से एस॰सीज़ के बारे में भी है कि जो इंसीडेंस ऑफ पावर्टी है, जो नंबर्स लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन हैं वह मालूम होना चाहिए और एस॰ सी॰ एस॰टीज़ के बारे में अजीत जोगी कल हमारी बात कह दिए हैं। हम शुरू से ही कहते हैं। जब मंडल आयोग ले करके इतना विवाद चला उस समय भी कहे और मंडल आयोग ने भी यह लिखा था कि लैंड रिफार्म अगर आप नहीं करेंगे, मीन्ज़ ऑफ प्रोडक्शन जो है वह अगर समाज के सब से दलित हिस्सा जो है जो मार्जनलाइज़ सैक्शन है उसके हाथ में अगर नहीं पहुंचेगा तो वह न तो इकोनोमिकल, न तो पोलिटीकल वह जो पावर है उसको वह एसर्ट नहीं कर पायेंगे। मैं बंगाल से आता हूं मैं जानता हूं पंचायती राज आप कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं लेकिन सब स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम काम नहीं कर सकता। उस लिहाज से गांवों में जो सब से पिछड़े हिस्से की भागीदारी है, इन्वाल्वमेंट है वह हो नहीं सकती। गांवों में जो लोग रहते हैं ट्राइबल्ज़, शैड्यूल्ड कास्ट्स या दूसरे समाज के जो दलित लोग हैं उनका अगर अर्थ नीतिक अधिकार नहीं है, अगर डिग्नीफाइड लाइफ वे लीड नहीं कर सकते हैं तो फिर अगर आप पोलिटीकल पावर कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी आप दे देंगे तो भी सही मायने में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। एस॰सीज़ और एस॰टीज़ के बारे में जो स्कीम्ज़ हैं उनका मूल्यांकन होना चाहिए, एक स्पेसेफिक टाईम पीरियड में, 5 साल में हो, 10 साल में हो कि हम जो स्कीम बनाए है, जिनके लिए बनाए हैं, उसका नतीजा क्या निकला और उससे किनको लाभ पहुंचा। हमारा जो टार्गेट था, जो टार्गेट ग्रुप था वहां तक पहुंचा या नहीं और जो फिज़ीकल टार्गेट है हम उसको रीच कर पाए या नहीं।

मैं माइनारिटीज़ के बारे में आता हूं। हमको अफसोस इस बात का है कि यह चर्चा शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी से हमारे श्री सुन्दर सिंह भंडारी जी कल बोले और उससे पार्टी का नज़रिया पता चलता है। कल्याण मंत्रालय के बारे में बोले, बाकी सब बोले, मेंटली रिटार्डेड भी बोले, लेकिन जो अल्पसंख्यक शब्द है वह शब्द नहीं आया ...**(व्यवधान)**...

श्री गोविन्दराम मिरी: हम बोलने वाले हैं...**(व्यवधान)** हम बांट कर बोलते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री रामनाथ कोविन्द: उन्होंने कुछ मुद्दे हमारे लिए छोड़ दिए। ...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद सलीम: अच्छी बात है। आप बांट लेते हैं। यह माइनारिटीज़ के बारे सब से पहला सवाल जो है 15 प्वायंट प्रोग्राम के बारे में बहुत चर्चा हुई। यह अकेला कल्याण मंत्रालय का काम नहीं है, फाइनांस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, दूसरी बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन इसको मॉनिटर करने के बारे में आपने कागज़ पर तो लिख दिया, आंकड़ा तो मांग लेते हैं चीफ सेक्रेटरी लेवल से, स्टेट के मिनिस्ट्री लेवल से, डी०एम० के लेवल से, लेकिन उसका न तो कुछ सही तरीके से मॉनिटरिंग होता है और उसको कॉरेक्ट करने के लिए कोई स्टैप्स लिए जाते हैं। इसको और थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। मैं दूसरे तमाम मामलों में न भी जाऊं, लेकिन फायनेंस मिनिस्ट्री से बहुत से मामले जुड़े हुए हैं। सब से पहले मैं बताऊं मायनोरिटीज के लिए क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित करना। महोदय, सर्कुलर्स निकाले जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यहां हमारे बहुत से साथी बोलते थे कि अपीजमेंट ऑफ द मायनोरिटीज, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, उस समय भी कहा है और आज भी कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक से आंकड़े लेकर पब्लिश करे और मुल्क को मालूम कराए कि 1947 में मायनोरिटीज के लिए क्रेडिट फ्लो का लेवल क्या था और अभी जो आप ऋण देते हैं तमाम फायनेंसियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक से और आज उस की स्थिति क्या है? उस से आप को मालूम हो जाएगा कि अपीजमेंट हो रहा है या क्या हो रहा है? वह नहीं करते हैं आप, क्योंकि नहीं मिलता है उन को? और इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार की ओर से मदद देने की जरूरत नहीं थी। वे परंपरागत आर्टीजंस और क्राफ्ट्मैन थे और अपने पेशे के साथ सैकड़ों सालों से जुड़े थे, लेकिन क्रेडिट स्क्वीज करने से हमारी आजादी के 50वें साल में सब से बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि मिडिल-मैन का एक क्लास तैयार हो गया है। वह उन के काम को, उन के हुनर को खरीद लेते हैं और उस के बाद उन का शोषण चलता है। उस की जो क्राफ्टमेनशिप थी ट्रेडेशनली, उस में भी एक्सपोर्ट को आप देखें तो पाएंगे कि रा-मटैरियल के लायसेंसेस, कोटा और बैंक लोन वगैरह सब एलीट क्लास को मिला। उस के बाद अभी हम ने उस के शोषण को और भी पक्का कर दिया है। क्या इसे ही आजादी का फायदा कहते हैं? अब जो ट्रेडेशनली क्राफ्ट्समेन थे, या तो उन की स्किल एक्सटेंड करने के बजाय या तो खत्म हो गयी या उन की स्किल को, उन के हुनर का शोषण करने के लिए एक नया सैक्शन बना दिया जो कि पावर सेक्शन के नजदीक था। उन को लायसेंस वगैरह मिल गए, उन को कोटा मिल गया, उन को लोन मिल गया और वह सरकार का पैसा इस मिडल मेन के जरिए उस ट्रेड में जाएगा, उस क्राफ्ट में जाएगा जोकि एक्सपोर्ट होगा, लेकिन उस का फायदा उन को नहीं है जोकि ट्रेडीशनली इस काम के साथ जुड़े हुए थे। अब अगर आप इस कल्याणकारी राष्ट्र में उन के कल्याण की बात करते हैं तो हमें उन के साथ डायरेक्टली रीच करनी चाहिए। चाहे बैंक्स हों, फायनेंसियल इंस्टीट्यूशंस हों, गवर्नमेंट के हों, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गनाइजेशंस हों उनहें इस पेशे के साथ जो डायरेक्टली जुड़े लोग हैं, उन के साथ उन की डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए। मगर आज वह नहीं हुआ है। इस को हमें करेक्ट करना चाहिए। अब करेक्ट करने के लिए आप ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। आप ने नेशनल मायनोरिटीज डवलपमेंट एंड फायनेंस कार्पोरेशन बनाया है, लेकिन अफसोस की बात है कि 1994 में 15 अगस्त, 94 को लाल किले से तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भाषण दिया कि 500 करोड़ रुपए का नेशनल मायनोरिटी फायनेंसियल डवलपमेंट कमीशन बना दिया है। उस की आज क्या स्थिति है? महोदय, इसी सत्र में श्री रहमान खान साहब का प्रश्न था और जवाब मिला। तो कहां से 500 करोड़ आएगा? कौन देगा यह 500 करोड़ रुपया। महोदय, आठवीं योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूट करने की बात थी। अभी कहा जाता है कि 25 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी 75 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। तो आप ने क्यों 500 करोड़ का एलान कर दिया?

श्री गोविन्दराम मिरी: यह क्या आप के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल नहीं है?

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप अपने टाइम पर बोल दीजिए, अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करिए।

श्री मोहम्मद सलीमः वाइस-चैयरमेन साहब, वह लेकर, ये लोग रास्ते में, सड़क पर नाचना शुरू कर दिए, देखा मायनोरिटीज को 500 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। अभी भी 125 करोड़ रुपया पहुंचा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि सियासत करने के नाम पर सही मायनों में आर्थिक दृष्टिकोण से आप जो लोगों का उत्थान चाहते हैं, वह नहीं कर पा रहे हैं। वाइस चैयरमेन साहब, अभी प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने सही मायनों में कहा कि 60 परसेंट होना चाहिए। जो 500 करोड़ का नेशनल मायनोरिटी डवलपमेंट एंड फायनेंस कार्पोरेशन है, उस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 60 परसेंट होना चाहिए। अब कहां से देंगी स्टेट गवर्नमेंट्स? क्यों देगी स्टेट गवर्नमेंट्स? इस में आर्थिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ-न-कुछ दिक्कत है। मैं तो कहता हूं कि इस को 60 परसेंट के बजाय 75 परसेंट होना चाहिए और बाकी 25 परसेंट इंडीविजुअल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स या फायनेंसियल इंस्टीट्यूशंस से वह ले सकते हैं और वह नहीं ले पाएंगे तो 500 करोड़ का यह अर्थाराइज्ड कैपिटल कभी भी आप देख नहीं पाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा कहना है कि यह 75 परसेंट होना चाहिए। नौवीं योजना में वर्किंग ग्रुप की रिकमंडेशंस को मानकर 60 परसेंट के अर्थाराइज्ड कैपिटल के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 500 करोड़ में यह होना चाहिए।

महोदय, आप ने वैलफेयर मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट में लिख दिया है कि 41 मायनोरिटीज कनसेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि क्रेडिट फ्लो के बारे में, बैंक्स के बारे में सर्कुलर दे दिया गया वैसे ही एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि 41 मायनोरिटीज कनसेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उस में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रश्न आज की प्रश्न सूची में प्रश्न संख्या 489 है। महोदय, यह रहमान खान साहब का सवाल है।

मैं आखिरी बात यह कहूंगा, कहने के लिए और भी बातें थीं, हेंडिकेप्ड के बारे में थीं, मेंटली रिटार्डेड के बारे में थीं, फाइव इंस्टीट्यूशन्स हैं आपके, उनकी सही मायनों में इवेल्यूएशन होनी चाहिए। पहले एक इवेल्यूएशन आपने बाहर से फॉरमर डी॰जी॰एच॰एस॰ से करवाई थी, लेकिन आज भी उनकी रिकमेंडेशन्स इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो आप एक तो इवेल्यूएशन करते ही नहीं हैं और जब हमारे फारमर डी॰जी॰एच॰एस॰ इवेल्यूएशन किए हैं तो आपने आज तक उस इवेल्यूएशन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो वेलफेयर मिनिस्टी को चाहिए कि वह देखे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और भी कई मामले हैं, वक्फ के बारे में हम लोग बात किए हैं, इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वहां भी कुछ गल्तियां हुई हैं, उनको सुधारने की जरूरत है और यह जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, मैं आखिरी प्वाइंट कहूंगा, चाइल्ड वेलफेयर के बारे में और स्ट्रीट चाइल्ड के बारे में, उस बारे में कोई सदस्य जरूर कहेंगे, वह भी हमने लिखकर दे दिया है। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी 9वीं योजना का हमारा आंकलन हो रहा है, 8वीं योजना में वेलफेयर निग्लेक्टिड हुआ था। 8वीं योजना में टोटल प्लान आउट ले का 2 परसेंट वेलफेयर के लिए था और जो ऐलोकेशन हुआ था वह 0.87 परसेंट हुआ था। तो आप प्लान के शुरू में तो यह कहते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ओरिजनल ऐलोकेशन था, वह टोटल प्लान आउट ले का 2 परसेंट था और जब एलॉटिड हुआ तो वह 0.87 परसैंट था तो आधे से भी ज्यादा कट गया तो आप कितना कल्याण करना चाहते हैं, यह समझ में आ सकता है और अगर यही बुनियाद रहा तो हम कल्याण 50 साल में तो नहीं कर पाए, आने वाले 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे।

मैं नेगिटिवली खत्म नहीं करना चाहता, यूनाइटिड फ्रंट से बहुत उम्मीद है, जो समाज के पिछड़े हुए, दबे हुए लोग हैं, उनको इस सरकार से बहुत उम्मीद है और हम उम्मीद करेंगे कि यह सरकार कुछ सही कदम उठाएगी और जो पिछली सरकार की गल्तियां थीं, उनको सुधारने की कोशिश करेगी।

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Sir, as far as welfare schemes are concerned, first of all, I would like to refer to my own State, Tamil Nadu. The present Chief Minister of Tamil Nadu announced Rs. 1,000 crores for supplying 20 Kgs. rice to each family through PDS; a family assistance of Rs.7,500 in case of death of a bread winner in a family and for accident relief. These are the welfare schemes announced in Tamil Nadu. As far as our State is concerned, we represented many times to the Central Government for PDS and other things. Till date they have not taken any action in this regard. The people of Tamil Nadu are not getting 20 kgs. of rice per family though the PDS.

7—A—140/MP/RSS/ND/98

Now, the other point that I would like to make is with regard to the community certificate. Sir, I put a specific question here in this House regarding the Kattunaykan community which has been notified by the Central Government as a Scheduled Tribe. The hon. Minister also stated in his reply that this community belonged mainly to Tamil Nadu and was a Scheduled Tribe. Then we approach the concerned Cr llector for community certificates. But, they never issue us the certificates. We are facing many difficulties in getting the community certificate, particularly in my own district, Kanyakumari. People require these certificates because their children are getting admission to schools and colleges. I would like to know as to how far we have been able to implement all these welfare schemes. Even though the Central Government has notified that so and so community is ST, the bureaucrats are not issuing certificates which are required for the purposes of getting jobs, admission in colleges, etc. The other thing that I would like to point out is that many people from our State are living in Bombay. They have been residing there for the last 25 or 30 years. They applied for community certificates. Our State Government also sent a proposal to the Maharashtra Government in this regard. But, they never issued the community certificates. This is the position regarding our State. I wonder whether these welfare schemes are being implemented properly in our country. Our people are not getting community certificates in spite of the fact that their communities have been notified by the Central Government for the purpose. This is a very small thing because these certificates are required only for the purpose of education or getting jobs. The bureaucrats are not implementing all these things properly. The next point that I would like to mention is—my learned friend Md. Salim also referred to it—regarding the teachers' training. Recently the Welfare Minister met our Chief Minister and announced Rs.100 crores for the SC/ST teachers' training. I appreciate the step taken by the hon. Minister. But, I would like to know as to how far it has been implemented. All these things are meant only for the notification. They never implement them. At the Collector's level there is a scheme called TRYSEM for giving jobs to young people. When some people applied for the same they were told that they were not eligible for those jobs. There are many funds in the Collector's office. But, they are not giving any opportunity to youngsters, they are not giving any opportunity to women. Therefore, I would like to request the Central Government that it should give proper instructions to the bureacrats in this regard.

Secondly, as far as our State is concerned, we have a certain policy for the welfare of the handicapped people. The implementing authority in this regard is the Chief Commissioner. Sir, some national and regional conferences were also organised in this regard in February 1997. Sir, the State Government has to consult the Central Government for the implementation of this Act. The National Handicapped Finance and Development Corporaion is being established. I would like to know whether the Government has been able to implement all these 2.00 P. M.

things in our country. I would like to know whether the schemes meant for the welfare of the disabled are properly implemented. What is the amount provided for these schemes? Mr. Vice-Chairman, I am very sorry to inform this House that the Central Government has notified all these schemes, particularly for SCs, STs and Backward Classes. Funds are being made available but the schemes are not implemented properly.

There are other schemes such as Special Central Component for SCs assistance to the National Scheduled Caste and Scheduled Tribes Financial Development Corporation and Assistance for post-matric scholarships for SC/ST student. I put a specific question before this House: What is the number of students who have got the scholarships?

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) IN THE CHAIR]

Very little. It is because the schemes are not being implemented properly. As far as hostel facilities for SC/ST students of our State are concerned, only a limited number of persons are getting these facilities. Each district is having only three or four hostels. Even though funds are available, the State Government is not utilising them properly in respect of hostels for SC/ST students.

The other thing is about research and training schemes. I would like to know whether any such schemes have been implemented in the State. No. As far as my State is concerned, till date nothing has been done. Last week, our Chief Minister met the press. The Chief Minister of Tamil Nadu made an announcement regarding creation of a separate Ministry for Tamil Development. He proudly announced that Madras will hereafter be known in all languages as Chennai. This is the welfare scheme for Tamil Nadu. I am very sorry to inform this House that our present Chief Minister has announced that this scheme is a welfare scheme.

As far as Center State economic relations are concerned, the Government welcomed the alternative scheme recommended by the Tenth Finance Commission. But he wanted that the Centre should give to the States at least, one-third of the gross Central tax revenue. This is a scheme for our State. Perhaps, the change in the name of the State is welfare scheme to our State. So, I request the Chair to direct the Government to implement all the schemes which were notified by the Central Government.

As far as teachers' training is concerned, there are a number of schools in our State meant for teacher training- the training is not given properly. They are not implementing those schemes properly because they say, "We have no funds." Last week, the hon. Labour Minister met the Chief Minister and there is a press report which says that the Central Government has allotted Rs.3 crores of Rs.100 crores for teacher taining for SC/STs.

My next point is about the scheme for terrorist—affected women. There is a scheme in Punjab. The Punjab State has formulated a scheme for the victims of terrorist violence. According to the scheme, widows of diseased persons will be given a subsistence allowance of Rs.1,500 pm. till one member of the family is absorbed in Government service. We welcomed the scheme. Now, our present Chief Minister has announced one scheme. Whether it is applicable or not, I am not having any idea. He appointed a Commission known as Justice Mohan Commission. People who were affected in the Rajiv Gandhi assassination may submit a petition before the Commission and the Commission will look into the aspect of payment of compensation. These are the schemes which are being implemented in my State. As far as my party's stand is concerned, our State Government is not properly implementing the Central Government schemes, particularly the welfare schemes. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Brahmakumar Bhatt.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, a lot of discussion has taken place in this House. What I have felt is that this Welfare Department—whether it is working with the clear understanding that it is the social obligation of the Government, or it is working like a charitable organisation—is doing charity to some persons, and it is not their social obligation to carry out certain things in a time-bound manner. I see on T.V. a boy hammering the iron and then showing his wounds, and then there is a slogan "abolish child labour". The estimated expenditure in regard to child labour was Rs.56.15 crores. The revised estimate was 40.15 crores, while the actual is 40.50 crores. The Department has not been

able to spend even the amount which was to be spent. For training, rehabilitation, etc. also there is no explanation of the Secretary and their allegation is that the State Governments are not carrying out their duties. Who is going to monitor it? Somebody has to monitor it. If a State Government is not carrying out its duties, then there should be some monitoring machinery to see it. But, it is not done. Then, a survey was carried out in 123 districts about the child labour, but that too has not been completed. The Supreme Court has ordered to finish it by June 10, 1997. There is only about a month's time left. I am very much in doubt whether this Department will be able to complete it as per the direction of the Supreme Court. Let us see what is happening.

I come to the ESI Scheme, which is working under this Department. I am very much sorry to say—you are in the Trade Union Movement—in the so many ESI dispensaries there are neither doctors nor medicines. As a result, many labourers are forced to go to private doctors. Perhaps they have no faith in these dispensaries.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Bhatt, we are discussing the Welfare Ministry and this falls under the Labour Ministry.

SHRI BHRAHMAKUMAR BHATT: But, Sir, this is also a welfare activity of the Department.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Yes, it is a welfare activity, but it is under the Labour Ministry. The Labour Ministry and the Welfare Ministry are clubbed in the Standing Committee, not here. We are discussing here the Labour Ministry.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: It is the welfare of the working class. That is why I have referred to it. Now, I will take care.

Similarly, Sir, the doctors who are sanctioned, the nurses who are sanctioned are not there. The posts are vaccant. This is the position of the dispensaries. The medicines are substandard and labourers have no faith in them.

Then, Sir, I refer to the *safai karamcharis* particularly. The issue was raised in this House. There was a question sometime before. The issue was raised, in how many States the manual scavenging had been eliminated. The reply was, "Barring two States, in all other States this dirty method is continuing." We are going to celebrate the fifty years of our Independence. I am happy that Government is going to celebrate the fifty years of our Independence because I am also a freedom fighter. I have seen those days. My feeling is that, including Gujarat, we have not been able to eliminate this shameful thing of human scavenging prevalent in the country.

I would stress, I would demand, that we should prohibit it by law, if we are not able to mobilise public opinion. For how many years are we going to wait till public opinion is created? For how many years are we going to wait before this shameful thing which is going on is eliminated? Why can't we promulgate a law?

Take, for example, the question of untouchability. If you call a person an untouchable now, it is an offence. You would be prosecuted. It is an insult to call a person by the name of the caste to which he belongs; Scheduled Caste, etc. Now, if untouchability has been eliminated, without waiting for the education of the society, why can't we do it in this case also? Why should we wait for so many years to eliminate this?

I would suggest that, if necessary, a special cess should be levied. Whatever be the method—it may be through Income-tax or any other tax—a special cess should be levied. The other thing is that fifty per cent of the expenditure should be borne by the State Governments and the remaining fifty per cent should be borne by the Central

Government. But under no circumstances, we should allow this shameful thing of manual scavenging to remain in the country in this fiftieth years of our Independence.

One more thing I would like to suggest. It is this. The extent of manual scavenging differs from State to State. In some States, it is on a limited scale. In some other States, it is on a wider scale. My suggestion is: let us not try to eliminate it in all the States, simulatenously. Let the Department first try to see that it is eliminated in those States where it is on a limited scale. Then we can take up the other States where the extent of this problem is on a wider scale. Ultimately, we should see that this shameful thing is totally eliminated and human dignity is restored.

Mr. Vice-Chairman, Gandhiji has talked about this a number of times. Everybody knows. I do not want to recall his words. Everybody knows about his views. I do not know what would happen to his soul—wherever his soul is—if it comes to know that even after fifty years of Independence, this shameful thing is going on in this country. Everybody can imagine as to what Gandhiji would think about it.

I want to stress that this evil has to be prohibited by Law. Let the State and the Central Governments share the expenditure. Let the State and the central Governments meet one year's expenditure of the families of these people. During this period of one year, they should be enabled to rehabilitate themselves by going into some trade or business through assistance in the form of grant or loan. Under any circumstances, this has to be eliminated; if necessary, by law. We have eliminated so many evils by law.

Sir, the target was that, by the end of the Eighth Five-Year Plan, the rehabilitation work would be over. The Eighth Five-Year Plan has gone by. The target now is that in the Ninth Five-Year Plan, we will be able to do it. I am very much in doubt. I will be very happy if it happens. But I am very much in doubt as to how we will be able to do it in a matter of just five years, when we have not been able to eliminate it through eight five-year plans, over forty years. That is why I am insisting on this being prohibited by law.

Then, about the funds which are given to the State Governments. There should be a proper monitoring to see that it is spent for the purpose for which it has been given. Yesterday, Shri Ajit Jogi gave a detailed account of the pitiable condition of Adivasis and Harijans. He belongs to that community. Whatever he said came from his heart. But those who believe ideologically about this should also feel just as Mr. Jogi has felt; everybody should feel like that. Therefore, I submit that if some State Governments misuse the money—I know, some State Governments must have used this money because even for giving salaries to their employees they have no money; they are bankrupts and they are misusing the money meant for the welfare of this class—those States should be identified and the Welfare Ministry should take over the added responsibility of ensuring that the money is properly used.

Sir, I decided to participate in this debate particularly, and with the only purpose of, speaking about and laying stress on the elimination of manual scavenging. I hope a definite and concrete plan, as contemplated, for the purpose of eliminating manual scavenging by the end of the Ninth Five-Year Plan would emerge and the purpose would be achieved. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Ish Dutt Yadav. ....Absent. Shri Maurice Kujur.

SHRI MAURICE KUJUR (Orissa): Hon. Vice-Chairman, Sir, most of the points that I actually wanted to touch upon have already been covered by Shri Ajit Jogi and yourself in a very detailed manner. Especially, I had the intention of touching upon the welfare of Scheduled

Castes, Scheduled Tribes and minorities. I will just make a few points which have been left untouched. Sir, so far as the working of the Ministry of Welfare is concerned, in my opinion, the planning is good though sometimes it is faulty. The programmes are good, the schemes are also good, but the failure is at the stage of implementation. Sometimes there is some sort of collusion between the people in charge of implementation and the exploiters, and that is why the welfare programmes do not reach the people for whom they are meant. Up till now the fruits of the various welfare programmes and schemes have not reached those who deserve to enjoy them. Still it is the have's who are enjoying and not the have-nots. That is the pity. The oppressed, depressed and long-suffering Dalits only hear about the fruits of the welfare programmes but they do not enjoy their fruits. That is why, Sir, I want to express from the bottom of my heart the cry of the long-suffering Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Dalits in two lines in Hindi:

किसे कहूं अपना, कोई इस काबिल नहीं,
यहां पत्थर बहुत मिलता है पर दिल नहीं।

Mr. Vice-Chairman, Sir, the Ministry may have the money for the welfare work, they may have good plans and many programmes, but my questions is whether those people who are in charge of implementing the welfare programmes and schemes have a heart for the people for whom these programmes are meant. उनके लिए उनका दिल है कि नहीं, उनके लिए उनका दर्द है। Very often, persons who have no heart for these people or people who have no zeal to work for these people are entrusted with this work. That is why, through you, Sir, my simple request to the Minister is that whatever welfare schemes are meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or handicapped or women, their work must be entrusted to persons who are really experienced in those fields and who have the heart to work.

Mr. Vice-Chairman, Sir, now, I am just touching a few specific areas where this Ministry has failed to implement any plan or programme till now.

My first point is about the plight of displaced tribals. Tribal areas are richly endowed with natural resources such as minerals, water, forest goods etc. That is why, big factories, big dams for irrigation and big projects are coming up in tribal areas. As a result, these tribals have to sacrifice their land on which their forefathers and they have been depending till now. Their displacement is inevitable as these projects are coming up in national interest.

But then, Sir, yesterday, Mr. Ajit Jogi pointed out very rightly that one tribal was displaced thrice. उसको तीन दफा डिसप्लेस कर दिया गया। डूबते हैं तो हम डूबते हैं। He has rightly said this.

कारखाना बनता है, मरते हैं तो हम लोग मरते हैं।

When we are displaced, again we are thrown into the forest, and we are debarred from enjoying the forest goods which we were enjoying. Ajitji rightly pointed it out in his speech. So, the plight of these displaced tribals has become a never-ending problem.

Sir, this should end somewhere. The Government or the authorities are very keen to acquire their land for factories or dams, but they are not so much keen to settle them or give them the compensation or other facilities. These people just see big factories coming up where they had their land and other people enjoying the fruits of those factories. They see big dams coming up for irrigation purposes. They see their lands being submerged but non-tribals' lands being irrigated. These tribal people are thrown out somewhere on a barren land.

My straight request to the Welfare Minister is that emphasis should be laid that along with adequate compensation and other facilities, these tribals should be given land for land and that too good land. At least some acres of land should

be given to these tribals along with compensation and other facilities. That too, if it is a factory, land should be given in the periphery of the factory. If it is a dam, land should be given in the area which received water for irrigation from that dam so that these people can say, "We have sacrificed the land of our forefathers, but now we are enjoying the fruits of the project."

Sir, my second point is about settlement of forest villages. Sir, crucial problems have continued to confront the tribals in their development. Lakhs of tribal families in thousands of tribal villages live in the forests for the simple reason that these forest villages were created to meet the manpower requirements for exploitation of the forest resources. These forest villages present a confused picture of the tribal economy. These forest village tribal families possess no right on the land they have been cultivating for years. Unless these villages are declared revenue villages, they cannot get the benefits of tribal development schemes or programmes. Sir, the hon. Rural Development Minister is sitting here. I had recently gone to Hyderabad to attend a seminar or Rural Development. There I got a book on tribal situation in forest villages. This book was published in 1993 by the National Institute of Rural Development. They had made a survey. It says there are about two lakh tribal families in around 5,000 forest villages. My point is that till now no other Ministry or even the Welfare Ministry, has thought about these tribal families. They have not even found out whether they are getting the benefits under the tribal development schemes or programmes. Of course, by now there may be some changes in their numbers and that of their villages, but my sincere request to the Welfare Ministry is to put pressure on the State Governments to conduct a survey of these forest villages, especially in Bihar, Madhya Pradesh and in many other big States where these forest villages exist to find out their numbers and see how many such villages till now have been declared revenue villages and then ask the Central Government to declare these forest villages as revenue villages enabling them to get the benefit of all the welfare schemes and programmes meant for them.

My third point is that the welfare schemes and programmes meant for Scheduled Castes should also be extended to Scheduled Cast Christians. The mover of this discussion, Shri Sunder Singh Bhandari was right when he said yesterday that by changing the religion their economic status has not improved. I also emphasise that the economic status of the Schedule Castes who have changed their religion has remained the same. That is why welfare programmes which are meant for the Schedule Castes also should be extended to the Scheduled Tribes who have changed their religion. Of course, some Members may oppose this view. But this is a debatable matter. My personal view is that this matter should be debated in Parliament because it is a long standing demand. This relates to social and economic uplift. So, these Schedule Caste Christians should be given all the welfare programme facilities meant for the Scheduled Castes. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, we will take up Private Members' Resolution.

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): अभी इस पर बोलने वाले रहते हैं। .....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): नहीं, जो स्पीकर्स थे वे सब बोल चुके हैं, कुछ एब्सेंट हैं और बी॰जे॰पी॰ के चार नाम और हैं। लेकिन समय नहीं है। न तो सदन के पास समय है और न आपकी पार्टी के लिए जो एलाटेड टाईम था वह भी बाकी नहीं है। अगर टाईम रहता कुछ तो बाद में दिखाया जा सकता था।

THE VICE-CHAIRMAN: Now, we have to conclude this discussion.

श्री गोविन्दराम मिरी: वेल्फेयर मिनिस्ट्री पर डिसक्शन बहुत दिन बाद हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): बेशक यह सही बात है। .....(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मिरी: आप दस मिनट का समय दे दें ताकि 3-4 लोग बोल लें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Not at the cost of Private Members' Business.

श्री रामनाथ कोविन्द: सिर्फ 10 मिनट का टाईम आप अगर और दे दें या बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें तो हो सकता है। .....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): प्रस्ताव तो ठीक है और यह तो हाउस ही निर्णय कर सकता है। .....(व्यवधान) लेकिन आपके प्रस्ताव के ऊपर मैं यह कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो बी०जे०पी० के लिए जो अलाटेड टाईम है, उसमें से उसके लिए कुछ समय बचा है। दो मिनट है। अगर हाउस यह चाहता है तो आपमें से कोई एक आदमी बोल सकता है तीन या चार मिनट। .....(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मिरी: ग्रेस मार्क भी देते हैं, सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री माहम्मद सलीम): प्राइवेट मैंबर्स का ईंपार्टेंट बिजनेस है।

श्री गोविन्दराम मिरी: यह तो माइनारिटीज़ का सवाल है।

उसभापध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): : तो 2:30 पर हमें प्राइवेट मैबर्स विज़नैस लेना था। मिनिस्ट्री ऑफ वेतफेयर पर डिकक्शन आलमोस्ट कंक्लूड हो गया है। ...(व्यवधान) बी०जे०पी० के पास और भी दो मिनट टाईम है। वह 5-6 मिनट और भी बोलना चाहें तो एक सदस्य बोल ले। उसके बाद जितना समय होगा वह पांच बजे के बाद मैकअप हो जाएगा। If the House agrees, we can continue the discussion by accommodating one more speaker. The time of the Private Members' Business taken away by the discussion on the working of the Ministry of Welfare would be made good later on. Okay?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहममद सलीम): मि० मिरी, आप ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री गोविन्दराम मिरी, (मध्य प्रदेश): उपसभाल ध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय में बोलता हूं। महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि यह जो कल्याण मंत्रालय है यह जिनके कल्याण के लिए बना है, यह उनका कल्याण करना चाहता है या अपना खुद का कल्याण करना चाहता है अभी मेरे भाई मॉरिस कुजूर साहब दिल-दिल की बात कह रहे थे, तो सरकार दिल दिया दर्द लिया वाली होनी चाहिए। लेकिन यहां तो दिल लिया और दर्द दिया वाली सरकार है। यह जो महिलाओं के बिल के संबंध में सब पार्टियों ने यूनेनिमसली रिज़ाल्व किया उसके बाद भी यह बिल नहीं ला पाए है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि जो चीज़ ठंडे बस्ते में डालना है तो उसके लिए कमीशन बना दो। अब माइनारिटीज़ कमीशन बना है, नेशनल कमीशन फॉर शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ बना है। मैं नहीं जानता बाकी कमीशनों में क्या हाल हैं, लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ बना है। मैं नहीं जानता बाकी कमशीनों में क्या हाल है, लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमीशन को जहां तक मैं जानता हूं वह सिर्फ बिना नाखून और बिना दांत का शेर है, पेपर टाईगर है। ऐसा आई वाश करने से क्या फायदा हुआ। उसको स्टेंथन किया जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए और इसी तरह से यह जो स्कवेंजर्ज़ के लिए कमीशन बना है उसको स्टेंथन किया जाए।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। स्पेशल कोर्ट्स की बात कही गई है एट्रोसिटीज़ एक्ट के लिए, वकील होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि जिले में सिर्फ एक जज, डिस्ट्रिक्ट जज को वह पावर दी गई है। एट्रोसिटीज़ एक्ट में जो-जो जहां जयूडिशियल एग्ज़ीक्यूल टिव मैजिस्ट्रेट हैं उनको एम्पावर कर दें तब तो उनको, गवाहों को आने-जाने में कुछ सुविधा होगी। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के प्राब्लम्ज़ के लिए और जितने भी है, उनके प्राब्लम के लिए, जैसे हमारे भाई रामनाथ कोविन्द जी ने कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ लिस्ट जो पैडिंग है उसको तैयार करने के लिए एक कंप्रीहैंसिव बिल लाया जाए, मैं भी इस मत का हूं और समर्थन करता हूं कि यह बिल जल्दी लाया जाए। फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो छात्रावास है उनकी हालत अत्यन्त खराब है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है ऑन लेबर एंड वेलफेयर, ऑन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर 1996-97 इसकी रिपोर्ट एनेकस्वर-2 में यह पैरा 2.22 मैं पढ़ता हूं:

> "The Committee regret to note that the selection of SCST candidates for award of scholarship for advance studies abroad for the years

1994-95 and 1995-96 has yet to be finalised. The Ministry has stated that it will take another three months in the process of selection of candidates and that too, after getting the approval of the Committee on Non-Plan Expenditure. The reason put forth by the Ministry, that is non-availability of Chairman of the Selection Committee, is not satisfying to the Committee. This clearly indicates that the Government is not really serious to encourage the SC/ST students for higher studies abroad."

यह बहुत दुख की बात है कि एस० सी०/एस० टी० के जो बच्चे वहां जा सकते हैं, उस बारे में ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरह आज हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज अपॉइंट किए जाते हैं, उस में एस०सी०/एस०टी० का परसेंटेज बहुत कम है जबकि इस में भी योग्य व्यक्ति है। महोदय, डा० अम्बेडकर जब वकालत करते थे, तब उन को योग्य व्यक्ति नहीं माना गया था, लेकिन जब उन को मिनिस्ट्री में लिया गया और उन्होंने जो परफारमेंस दी, कांस्टीट्यूशन लिखा, तब उन्हें माना गया। तो ऐसे वर्गों में भी योग्य वकील है जोकि अच्छे जज साबित हो सकते हैं, लेकिन हमारा इरादा सही होने पर ही यह संभव हो पाएगा।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे एस० सी०/एस० टी० की जनसंख्या 25 परसेंट है, लेकिन बजट एलोकेशन बहुत कम है। इसे जनसंख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए। कल हमारे साथी श्री बंगरु लक्ष्मण ने विस्तृत विवरण दिया है। इन का बजट एलोकेशन बहुत ही कम होता है। यह "ऊंट के मुंह में जीरा" के बराबर होता है। यह दसूरे प्लान में 1.9 परसेंट था, तीसरे 1.4 परसेंट, चौथे में 0.9 परसेंट, पांचवें में 0.8 परसेंट, छठे में 1.6 परसेंट और सातवें में 1.4 परसेंट। अगर इस का आंकलन करें तो पाएंगे कि एक व्यक्ति के लिए एक साल में 1 रुपए 76 पैसे का अलाटमेंट होता है। तो क्या इस राशि से उस का कल्याण हो सकता है?

महोदय, जहां तक मायनोरिटी का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि बी० जे० पी० की गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट है जिस ने मध्य प्रदेश में मायनोरिटी कमीशन को अपग्रेड कर के ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जिस के चैयरमैन एक मुस्लिम भाई बनाए गए और जिसका मैं भी एक मेंबर रहा हूं, लेकिन जैसे ही बी० जे० पी० गवर्नमेंट गिर गयी उस कमीशन का अब अलग अस्तित्व हो गया है। महोदय, यहां भी नेशनल कमीशन बनाया गया है। हमारे देश में मुस्लिम भाई शिक्षा में पिछड़े हुए है, रोजगार में पिछड़े हुए हैं, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है। उन को सिर्फ वोटर समझती है। महोदय, एक मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन इस्टीट्यूट है जिस को 9-10 साल पहले 30 करोड़ रुपया दिया गया ताकि मायनोरिटीज के लिए खर्च किया जा सके, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, यह 30 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया गया जिस का 5 करोड़ रुपए सालाना ब्याज मिलता है। उस से उन की तरक्की नहीं हो सकी है, लेकिन मान्यवर अभी पिछली सरकार ने जिस में श्री देवगौडा जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने अब 30 करोड़ को बढ़ाकर 70 करोड़ कर दिया है।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मायनोरिटी की परिभाषा क्या है और क्या उस में हमारे मुस्लिम भाई ही आते है। उस में क्रिश्चियन नहीं आते, सिख नहीं आते? मैं कल्याण मंत्री से जानना चाहता हूं कि जिस तादाद में इस वर्ग को पैसा दिया गया था, वह पैसा मायनोरिटीज में आने वाले अन्य लोगों को दिया गया है या नहीं दिया गया है? मेरी जानकारी है कि उन के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वेलफेयर मींस वेलफेयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।

एक बात, महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स की भर्ती नहीं हो रही है। इसलिए उन के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया जाय। महोदय, इन के लिए किताब, कॉपी दी जाती हैं उस में शिकाये यह आती है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स/शैड्यूल्ड ट्राइब्स को किताबें तब मिलती हैं जब कि परीक्षा नजदीक होती हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है कि परीक्षा खत्म हो गयीं, उस के बाद किताबें दी जाती हैं। तो इन के जो एन०जी०ओज० हैं, उन की ईमॉनीटरिंग के लिए कोई एजेंसी नहीं है। उन के परिवार पर एट्रोसिटीज होती हैं, लेकिन उन की मॉनोटरिंग के लिए कोई एजेंसी नहीं है। हम बार-बार सुनते है कि जिस जगह में ज्यादा एट्रोसिटी होगीं, वहां के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट और एस०पी० को जिम्मेदार मानेंगे, लेकिन आज तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि किसी को जिम्मेदार मानकर सजा दी गयी है। इस के लिए सोशल एवेयरनेस लाने की जरूरत है, खाली सजा देने से काम नहीं होगा।

महोदय, अदालतों में जजों की संख्या वैसे ही कम है। फिर जिले के लिए एक अदालत बना दी है और वह भी पार्ट-टाइम बनायी है जोकि फुल-टाइम होनी चाहिए ताकि स्पीडी ट्राइल हो और जिस के लिए जो एन०जी०ओज फ्लेअर्स हों, उन की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और उन्हें पनिश किया जाना चाहिए।

महोदय, आप ने मुझे समय दिया, इस के लिए आप का आभारी हूं। मैं कल्याण मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि जिन बातों की ओर मैंने इंगित किया है, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट्स का मामला हो, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला हो, मायनोरिटीज का मामला, वूमेंस का मामला हो या हेंडीकेप्ड का मामला हो, हैंडीकैप्ड की हालत तो और भी खराब है, जिन के कल्याण के लिए यह मंत्रालय बना है, उन के लिए वह सही तौर पर काम करे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We have concluded the Discussion on the working of the Ministry of Welfare. The Minister will give a reply on Wednesday.

Now, we will take up the Private Members' Resolution moved by Shri N. Giri Pradsad. Last time, on 14th March, Shri Surinder Kumar Singla was speaking and he had not concluded has speech. He is not present here, and there is no other name. So, the Minister is going to reply.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Growing Sickness of Public Sector Under takings

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the hon. Member, Thiru N. Giri Prasad, for having brought this Resolution in this House because this Resolution highlights the public sector undertakings which dominate our thinking, and it also gives an opportunity to the Government to come out with its policies. Sir, Thiru Giri Prasad himself is a great revolutionary. He braved bullets; that is why, he was every emotional, in the sense that he, with nostalgia, referred to the Soviet Revolution and great leaders like Lenin. Sir, we are all emotionally inclined towards the public sector. I am also one of those who are inclined towards it. That is why whenever something happens to our public sector undertakings, we are all emotionally upset. So, I share the feelings of the hon. Members. I think, here, every Member knows very well how deeply I am involved in reviving the public sector undertakings. Sir, if India has an industrial base today, it is largely because of the public sector undertakings because public sector has been central to our philosophy of development. Even in 1994, when the Bombay Plan was sponsored by the eight prominent industrialists, they assigned to the State and its planning mechanism the primary responsibility for industrialisation. Sir, public sector achieved the commanding heights of economy, but what happened was, we came down from the commanding heights and entered into the field of consumer goods and the services sector, in the sense that the public sector started making bread, making shoes and selling several other things, which is not at all necessary. Sir, another tragic thing was, we had acquired many of the bankrupt, sick private sector units which were about to close or which were closed. That is the problem because almost one-third of the losses of the public sector undertakings are due to those sick undertakings which we have acquired. Sir, in the past, as many as 47 units were taken over by the Government from the private sector after they became sick. That was done in public interest and also for safeguarding the interests of the employees. So, in the last four decades we have invested massively in the public sector. Upto last year, the total investment in the public sector was Rs. 1,78,268 crores. Sir, that is a huge amount. What we have to improve the functioning of the public sector undertakings. A lot of exhortation has been made to improve the functioning of public sector undertakings. It has become a standard part of the Indian menu of economic reforms. We have been mouthing sweet words about reforms, but I am sorry to say that nothing concrete has been done. Efforts have been made by the Government, and several Committee have been appointed. They are the Krishna Menon Committee, the L.K. Jha Committee, then the Arjun Sengupta Committee of 1984. Mr. Chaturvedi is not here; he reminded me about the Arjun Sengupta Committee.